



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26042024-253872
CG-MH-E-26042024-253872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]
No. 282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 अप्रैल, 2024

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/171.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में विनियम 38 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“निर्धारित मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) का पर्यवेक्षण आदि

38क. इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, बोर्ड की मंजूरी से, निर्धारित मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) का पर्यवेक्षण आदि कर सकेगा, उन शर्तों आदि पर और उतना जैसा बताया जाए।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./051/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा
 - (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
 - (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा
 - (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा
 - (छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा
 - (ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा
 - (झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/139, द्वारा
 - (ञ) 22 अगस्त, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/148, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th April, 2024

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/171.—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of

India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely, –

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, after regulation 38, the following regulation shall be inserted, namely,–

“Administration of specified intermediaries

38A. Notwithstanding anything contained in these regulations, with the approval of the Board, the activities of administration and supervision over specified intermediaries may be carried out by recognised stock exchange on such terms and conditions and to such an extent as may be specified.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./051/2024-25]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on–
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
 - (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.
 - (f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.
 - (g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.
 - (h) 28th February, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.
 - (i) 24th July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.
 - (j) 22nd August, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.